न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 34 / 2013 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2013 / 00041

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

ढलाराम पुत्र मगाराम, जाति मेघवाल, निवासी सुमेर, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

1. ग्राम पंचायत सुमेर, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुमेर, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
2. नेनाराम पुत्र वगताजी
3. मसीया पुत्र डोवाजी, जातिगण राईका, निवासीगण सुमेर, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से श्री श्याम पंचारिया उपस्थित
अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री शिवकरणसिंह उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22/2/21

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 20.11.2012 जो ग्राम पंचायत की मिसल संख्या 01 / 2012–2013 में पारित आदेश वं प्रस्ताव संख्या दिनांक 20.11.2012 को पारित किया गया उसकी पालना में जारी पट्टे को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत सुमेर से रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि पंचायत द्वारा पूर्व में मिसल संख्या 05 / 1999–2000 आदेश दिनांक 21.07.1999 की पालना में विक्रय विलेख संख्या 324 दिनांक 31.07.1999 जारी किए उसे इस न्यायालय में ही प्रश्नगत किया गया था। जो इस न्यायालय के पंचायत निगरानी संख्या 09 / 2000 ढलाराम वगैरा बनाम नैनाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2007 को प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत सुमेर को प्रार्थी व अप्रार्थी के कब्जे के सम्बन्ध में जांच कर सुनवाई का राजस्थान पंचायती राज नियमों में किए गए प्रावधानों के तहत नए सिरे से न्यायसंगत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। ग्राम पंचायत सूमेर द्वारा पुनः पत्रावली संख्या 01 दिनांक 20.07.2012 कायम की जाकर कार्यवाही करते हुए पट्टा पुनः अप्रार्थीगण के ही नाम जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। पंचायत के ग्रुप सचिव द्वारा एक दिन में समस्त कार्यवाही की है। एक ही पेन व एक ही हस्तलिपी में आदेशिकाएं लिखी गई है। पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुए बिना प्रक्रिया अपनाए अप्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिए प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमी का पट्टा अप्रार्थीगण के नाम जारी कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है पूर्व प्रार्थी के पिता द्वारा 30.10.1996 के पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था 60 / – रूपये शुल्क भी जरिये रसीद संख्या 308 दिनांक 30.10.1996 के जमा कराया था जिसकी कोई कार्यवाही नहीं की बाद में प्रार्थी के पिता मगाराम पुत्र डूंगाजी द्वारा पुनः दिनांक 05.10.2001 को भी जैर निगरानी आराजी 15 गुणा 45 फिट का पट्टा जारी स्वयं के नाम कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया या उस बाबत भी कार्यवाही नही की गई। न ही प्रार्थना पत्र दर्ज ही किया गया। लेकिन जैर निगरानपी आराजी का पट्टा अप्रार्थीगण के नाम जारी कर दिया इसी कारण प्रार्थी द्वारा निगरानी वास्ते निरस्त [illegible] पेश की गई। पूर्व में भी जिसके नाम पट्टा जारी किया [illegible] प्रतिप्रेषित की गई थी उसी के हक में पुनः पट्टा जारी कर दिया है [illegible] निगरानी कर्ता को [illegible] सुना गया तथा नियम 145 से 157 तक की प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rathi
Date: 2021.03.05 19:30:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................2

आबादी भूमी पर निर्मित मकान का ही पट्टा जारी किया जा सकता है जबकि मौके पर खाली भूखण्ड पड़ा है। बिना निलामी किए पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार पंचायत को हानी पहुँचाई है। आपति इश्तिहार किन मौतबिरानों की मौजूदगी में कहां चस्पा किया गया , किस तारीख को चस्पा किया गया स्पष्ट नहीं है। जिनके बयान लिए है वे सभी बयान सशपथ नहीं लिए गए है। जो विधि अनुरूप नहीं है। जिस निर्देशों से प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया उनकी पालना नहीं की गई है प्रार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। समस्त कार्यवाही नियमों कें अनुरूप न कर मनमर्जी से की गई है इसलिए जैर निगरानी प्रस्ताव आदेश व पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण ग्राम पंचायत सूमेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्रार्थी व अप्रार्थी के कब्जे के संबंध में जांच कर बाद जांच व सुनवाई के राजस्थान पंचायत राज नियमों में दिए गए प्रावधानों के तहत नए सीरे से न्यायसंगत आदेश पारित करे। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.07.2012 को पांच वार्ड पंचों एवं प्रार्थी ढलाराम व अप्राथी नैनाराम की उपस्थिति में मय ग्रुपसचिव एवं सरपंच के मौका देखा गया मौका रिपोर्ट पत्रावली संलग्न है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण का जैर निगरानी आराजी पर कब्जा होने से तथा कब्जा के कारण ही पट्टा में अंकित भूमी का अप्रार्थी के हक में नियमीतीकरण कर पट्टा जारी करने की बात कही गई शेष भूमी पूर्वदिशा की तरफ व उतर दक्षिण दिशा की तरफ तहवील के होने का बताया गया। साथ ही बाजार दर से रास्ता 20 फीट पश्चिम दिशा में छोड़कर शेष अधिक भूमी जो पट्टे में दर्ज है उसका बाजार दर से राशि वसूल कर नियमित की जाने हेतु कहा गया यह निर्णय उक्त सभी संदर्भो में सहमती से लिया। आराजी चार दिवारी व कांटों की बाड़ से घिरी हुई है यह भी मौका रिपोर्ट में अंकित है। उक्त आराजी पट्टे में दर्ज भूमी से अतिरिक्त भूमी का बाजार दर 60/- रूपये प्रतिवर्गफुट से राशि वसूल कर पट्टा जारी किया गया जिसका अनुमोदन विकास अधिकारी से कराने हेतु भी लिखा गया ळै। स्वतंत्र गवाह दानाराम, ताराराम, रताराम, वेनाराम के बयाना लिए गए जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर है। अपर जिला न्यायाधीश बाली ने अपील संख्या 05/2006 में ढलाराम का उक्त आराजी पर कब्जे के अभाव में अपील खारिज की है। एवं सिविल जज (क.ख.) प्रकरण संख्या 03/2006 में पारित आदेश को बहाल रखा गया है। जिसमें अप्रार्थी का कब्जा बहाल रखा है एवं ढलाराम का स्थगन खारिज किया है। अतिरिक्त आराजी के रूपयेअप्रार्थीगण द्वारा जरिये रसीद संख्या 111 दिनांक 23.01. 2013 के ग्राम पंचायत में अदा करने के पश्चता ग्राम पंचायत द्वारा बाजार दर से राशि वसूल कर पट्टा जारी किया गया जो विधीसम्मत होने से यथावत रखा जावे एवं निगरानी खारिज फरमावे। ग्राम पंचातय सूमेर द्वारा जो पट्टा जारी किया गया वह श्रीमान के रिमाण्ड आदेश दिनाक 31.07.2007 के माफिक ही किए गए है। जो पूर्ण रूप से नियमों की पालना करते हुए जारी किए जाने से निगरानी खारिज फरमावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु दो है :–

1. क्या इस न्यायालय के दिनांक 31.07.2007 के निर्णय की पालना की गई है।
2. क्या प्रक्रिया का पालन किया गया है।

इस सन्दर्भ में पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर के पूर्व में पारित आदेश दिनांक 31.07.2007 पंचायत निगरानी संख्या 9/2006 बअनवान ढलाराम बनाम नैनाराम वगैरा की पालना में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:47 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश....................3

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

पत्रावली खोली गई। मौका रिपोर्ट हेतु 5 वार्ड पंचों की रिपोर्ट ली गई। मौका रिपोर्ट हेतु 5 वार्ड पंचों की रिपोर्ट ली गई। मौका रिपोर्ट में अप्रार्थीगणों का कब्जा पाया गया तथा मौका रिपोर्ट पर पांच वार्ड पंच, सरपंच, ग्राम सेवक के हस्ताक्षर उपलब्ध है इस प्रकार जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की पालना की गई है।

ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली खोली गई 5 वार्ड पंचों की नियुक्ती कर मौका देखा गया आपति इश्तिहार जारी किया गया तथा 4 स्वतंत्र गवाहों के बयान मिसल में लिए हुए है तथा भूमी पर कब्जा होने से पूर्व पट्टा में अंकित माप की भूमी का पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया तथा शेष पट्टे से अतिरिक्त भूमी पर कब्जा होने पर उसे बाजार दर से 60/– रूपये प्रति वर्गफुट की दर से राशि 73,380/–रूपये (तिहतर हजार तीन सौ अस्सी रूपये मात्र) व 18090/–(अठारह हजार नब्बे रूपये मात्र) क्रमशः दिनांक 23.01.2013 को तथा 28.01.2013 को राशि वसूल कर अनुमोदन हेतु विकास अधिकारी को लिखा गया फिर पट्टा जारी किया गया है। समस्त कार्यवाही अप्रार्थी के संज्ञान में है। पत्रावली में प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। कवेल एक रंग के पेन से पत्रावली लिखा होना नियम विरूद्ध होना स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है। प्राथमिक आपति अनुसार अप्रार्थीगण का कब्जा मौका रिपोर्ट 22.09.2017 की मौका रिपोर्ट अनुसार है।

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा जैर निगरानी ग्राम पंचायत सुमेर की आज्ञा दिनांक 20.11.2012 जो ग्राम पंचायत की मिसल संख्या 1/2012–13 में प्रस्ताव संख्या दिनांक 20.11.2012 की पालना में जारी किये गये पट्टे को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:47 IST
Reason: SelfAttested